राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2709846, 2700447 E-mail: leadershiprcse@gamil.com

क्रमाक / रामाशिप / जय / लीडरशिप / 4875   दिनांक 06/07/2016

जिला शिक्षा अधिकारी मा.शि. एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
अलवर, बाडमेर, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, झुन्झुनू,
नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक, उदयपुर।

विषयः– दिनांक 27 से 31 जुलाई 2016 तक लीडरशिप प्रशिक्षण आयोजित करने बाबत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि स्कूल लीडरशिप डवलपमेन्ट कार्यक्रम (SLDP) के तहत द्वितीय चरण के संस्थाप्रधानों (प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक) के लिए पॉच दिवसीय आवासीय लीडरशिप प्रशिक्षण का एक चरण जून माह 2016 में आयोजित किया जा चुका है। शेष जिलों में उक्त प्रशिक्षण दिनांक 27–7–16 से 31–7–16 तक आयोजित किया जाना है। इस संबंध में संबंधित जिलों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त तिथियों में पॉच दिवसीय आवासीय लीडरशिप प्रशिक्षण आयोजित करें। **इस हेतु प्रशिक्षण स्थल का चयन कर दिनांक 15–07–2016 तक परिषद् को सूचित करे।**

क्र.सं	जिला	प्रशिक्षण में शामिल संभागियों की संख्या	अन्य जिलों के नाम जहाँ से संस्थाप्रधान प्रशिक्षण में आने हैं (जून 2016 में अनुपस्थित रहे)
1	अलवर	159 (शेष रहे)	भरतपुर, धौलपुर
2	सीकर	131 (शेष रहे)	चुरू,
3	जयपुर	185 (शेष रहे)	
4	बाडमेर	84	जौधपुर,जेसलमेर
5	दौसा	107	स.माधोपुर,करौली
6	हनुमानगढ़	115	बीकानेर, गंगानगर
7	झुन्झुनू	195	
8	नागौर	157	अजमेर,
9	पाली	83	जालौर,सिरोही
10	राजसमन्द	51	चित्तौडगढ़,भीलवाड़ा,बारां बून्दी,झालावाड़,कोटा
11	टोंक	66	
12	उदयपुर	112	बांसवाडा,डूंगरपुर,प्रतापगढ़
कुल–		1445	

प्रशिक्षण संबंधी निर्देशः–

1. औसतन 40–50 संभागियो के लिए एक प्रशिक्षण समूह के आधार पर प्रशिक्षण समूह बनाये जायें।
2. गत सत्र की भांति प्रशिक्षण प्रोजेक्टर आधारित रहेगा। प्रशिक्षण स्थल का चयन करते समय ध्यान रहे कि प्रत्येक समूह हेतु अलग प्रशिक्षण हॉल (मय प्रोजेक्टर) उपलब्ध रहें।
3. **इस प्रशिक्षण में आदर्श विद्यालय द्वितीय चरण (2016–17) के संस्थाप्रधान शामिल होंगे। गत वर्ष लीडरशिप प्रशिक्षण से वंचित प्रथम चरण आदर्श विद्यालय के संस्थाप्रधानों (कार्यवाहक नहीं) को भी इस प्रशिक्षण में शामिल किया जायें। किसी भी स्थिति में इनके कार्यवाहक संस्थाप्रधान को प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करें। इस सत्र (2016–17) में सेवानिवृत्त होने वाले संस्थाप्रधानो को शामिल नहीं करें। आपके जिले के एसटीएफ / टीएफ को प्रशिक्षण लेने हेतु शामिल नहीं करें, उन्हे प्रशिक्षित माना जाये।**
4. **इस प्रशिक्षण में नये मॉडल विद्यालय एवं नये शारदे छात्रावास के नोडल विद्यालयों के संस्थाप्रधानों को शामिल नहीं करे, इनके लिये अलग से प्रशिक्षण किया जायेगा।**
5. जून माह 2016 में आयोजित लीडरशिप प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे संस्थाप्रधानों को भी इस प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाना है। इस संबंध में आयोजक जिले अन्य जिलों (कॉलम 4 के) से आने वाले संस्थाप्रधानों की संख्या के बारे में संबंधित एडीपीसी से सम्पर्क करें। जो जिले आयोजक नहीं है

वे अपने संबंधित संस्थाप्रधानों (जून 2016 में अनुपस्थित रहे) को प्रशिक्षण में उपस्थिति के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें। इस हेतु आयोजक जिले से प्रशिक्षण स्थल की सूचना समय पर प्राप्त कर लें।

6. प्रशिक्षण के उद्घाटन/समापन अत्यन्त संपेक्ष में रखे। उद्घाटन/समापन किसी भी स्थिति में आधा घंटे से अधिक का न हो। गत वर्ष कुछ जिलों में इससे सत्र प्रभावित हुए । अतः इसका ध्यान रखा जायें।
7. प्रशिक्षण में संभागियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लेखा संबंधी सत्र रखे जाये (अधिकतम चार)। ये सत्र लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/लेखाकर या समकक्ष (सेवारत/सेवानिवृत्त) द्वारा लिये जायें। इस हेतु इन्हे 400/– प्रतिदिन मानदेय व वास्तविक किराया (एक बार) दिया जा सकेगा (रामाशिप के बाहर के व्यक्ति को)। इन सत्रों में क्रय प्रक्रिया, बेकार सामग्री का निस्तारण, लेखा रिकार्ड का संचालन व संधारण, टीए/मेडिकल/विभिन्न अवकाश या अन्य आवश्यकतानुसार सत्र हो सकते है। इनका चयन संभागियों की मांग पर किया जाये। प्रथम दिन ये सत्र नहीं रखे जाये।
8. शिक्षक प्रशिक्षण की तरह इस प्रशिक्षण हेतु भी एक केन्द्राधीक नियुक्त किया जावें।
9. प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय है। अतः प्रातः योग सत्र व रात्रि सत्र अवश्य आयोजित किये जायें। रात्रि सत्र में अच्छे विद्यालयों की प्रेजेन्टेशन, वीडियो दिखाकर उन पर चर्चा करें। विद्यालय में नामांकन बढाने के लक्ष्य, शिक्षकों की कमी दूर करने के तरीके, समुदाय से सहयोग के तरीके, जेण्डर संवेदनशीलता या अन्य (संभागियों की मांग अनुसार) का रात्रि सत्र में समावेश किया जा सकता है।
10. उक्त आवासीय लीडरशिप प्रशिक्षण पर गत सत्र की भांति @ 300/– रू प्रति संभागी प्रतिदिन की दर से व्यय किया जा सकेगा। बजट संबंधी विस्तृत निर्देश संलग्न है। संभागियों का टीए/डीए उनके स्वयं के विद्यालय से देय होगा।
11. एडीपीसी प्रशिक्षण से एक दिन पूर्व प्रशिक्षण स्थल पर पहुँच कर शिविर प्रभारी व एसटीएफ/टीएफ के साथ सभी व्यवस्थाओं से संबंधित बैठक करेगें। प्रोजेक्टर, स्पीकर व सभी आवश्यक फोटो कॉपियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगें।
12. इस प्रशिक्षण के तुरन्त बाद अगस्त 2016 से ही विद्यालयों में ऑन साइट सपोर्ट कार्यक्रम प्रारम्भ होगा। अतः प्रशिक्षण के अन्तिम दिवस से पहले ऑन साईट सपोर्ट (स्कूल बेस्ड वर्क) हेतु सूची बनाई जाये। इसके अनुसार संस्थाप्रधान को यह मालूम हो जाये कि उनके साथ कौन सा एसटीएफ/टीएफ कार्य करेगा। माह अगस्त से ये एसटीएफ/टीएफ इनमें ऑन साइट सपोर्ट कार्य करेगें। आवंटित विद्यालयों में आदर्श विद्यालयों (द्वितीय चरण), नये मॉडल विद्यालय तथा नये शारदे छात्रावास के नोडल विद्यालयों को शामिल करें। इस हेतु जिलेवार लक्ष्य (संस्थाप्रधानों की संख्या) की सूची संलग्न हैं।
13. प्रशिक्षण के अन्तिम दिवस तक सभी संस्थाप्रधानो को लक्ष्य आवंटित किये जाये । प्रशिक्षण से जाने के बाद विद्यालय में जो बदलाव के क्षेत्र (लक्ष्य) उनके द्वारा लिए जा रहे हैं, उन पर कार्य प्रारम्भ किया जावे तथा विद्यालय प्रोफाईल निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।
14. आपके जिले के आदर्श विद्यालय द्वितीय चरण (2016–17) के प्रधानाचार्यों तथा एसटीएफ/टीएफ का वाट्सएप ग्रुप बनाये, जिससे अपडेट सूचनाएं उन तक पहुंचाई जा सके।
15. प्रशिक्षण में एसटीएफ/टीएफ परिषद् स्तर से शीघ्र ही लगाये जायेगे ।
16. प्रशिक्षण का प्रतिवेदन मय फोटो (प्रति दिवस के अनुसार) तैयार कर परिषद् को 05–08–2016 आवश्यक रूप से leadershiprcse@gamil.com मेल पर भिजवायें।

नोटः–प्रशिक्षण में टीएफ की नियुक्त निर्देश एवं प्रशिक्षण सामग्री निर्देश शीघ्र ही भिजवाये जा रहे हैं।
संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(जस्साराम चौधरी)
अति. राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर

प्रतिलिपि :–

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक रामाशिप, जयपुर।
2. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर।
4. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिअ, समस्त जिले निर्देशो की पालना सुनिश्चित करें।
5. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक

RCSE
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
दूरभाष – 0141–2709846, E-mail: trainings.rmsaraj@gmail.com

क्रमांक रामाशिप/जय/प्रशिक्षण/2016–17/ 4230 दिनांक 2/6/2016

कार्यालय आदेश

2016–17 में लीडरशिप प्रशिक्षणों हेतु 300 रू. प्रति संभागी प्रतिदिन की दर से राशि PAB 2016-17 में अनुमोदित होना प्रस्तावित है। प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्त गतिविधियों का आयोजन 300/–रू. प्रति दिन प्रति संभागी की सीमा में ही किया जाना है।

इस वर्ष आयोजित होने वाले लीडरशिप प्रशिक्षणों के संदर्भ में निम्न दर अनुरूप व्यय की स्वीकृति जारी की जाती है

1	भोजन (सुबह की चाय, नाश्ता, लंच, शाम की चाय, डिनर सहित ठण्डा व शुद्ध पानी)	–	150 रू. प्रति संभागी प्रति दिन
2	आवास व्यवस्था गद्दा, चादर–2 व तकिया	–	30 रू. प्रति संभागी प्रति दिन
3	बैठक व्यवस्था कूलर सहित	–	40 रू. प्रति संभागी पूर्ण प्रशिक्षण अवधि के लिए
4	स्टेशनरी एवं प्रशिक्षण सामग्री (पैन, डायरी, अध्ययन सामग्री की फोटो कॉपी आदि)	–	30 रूपये प्रति संभागी (पूर्ण प्रशिक्षण के लिए)
5	संदर्भ्य व्यक्ति मानदेय	–	400/– रू. प्रति संदर्भ्य व्यक्ति प्रति दिन (प्रति समूह 2 संदर्भ व्यक्ति प्रति दिन उपस्थिति के आधार पर), प्रशिक्षण स्थल से देय।
6	यात्रा भत्ता	–	संदर्भ व्यक्तियों को राजकीय नियमानुसार प्रशिक्षण स्थल से देय।
7	केन्द्राधीक्षक हेतु मानदेय	–	400/– प्रति दिन (अधिकतम 5 दिन)
8	योग शिक्षक मानदेय	–	150/– रू. प्रति दिन प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल के लिए 1 अधिकतम 4 दिन
9	कन्टिन्जैंसी (स्वच्छता आदि)	–	2000 –रू. प्रति शिविर (प्रशिक्षण केन्द्र को उपलब्ध करवायें)।
10	विशेष शिक्षण सामग्री (प्रयोगात्मक)	–	1500/–रू. प्रति प्रशिक्षण केन्द्र संदर्भ व्यक्तियों की माँग के अनुसार।
11	अभिलेख संधारण (फोटोग्राफी, रिपोर्ट, लेखन आदि)	–	1000 रू. प्रति प्रशिक्षण केन्द्र

उपरोक्त समस्त व्यय 300/–रू. प्रतिदिन प्रति संभागी की दर से आंकलन कर प्रस्तुत किया गया है । मोटे रूप में इसकी पालना सुनिश्चित की जाए। फिर भी सूक्ष्म मदों में उपरोक्त अंकित दरों में स्थानीय स्तर पर कमी बेसी अनुमत होगी। यद्यपि स्थानीय स्तर पर यदि कोई अन्तर आता है तो प्रति संभागी 300/–रू. की दर से अधिक किसी भी स्थिति में व्यय नहीं किया जावे। संभागी शिक्षकों को नियमानुसार वास्तविक यात्रा भत्ता एवं डी.ए. 1/4 का भुगतान शिक्षकों के सम्बन्धित विद्यालय से ही आहरण हेतु उपस्थिति पत्र में उल्लेख करें।

(जस्साराम चौधरी)
राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
जयपुर।

प्रतिलिपिः–
1. निजी सहायक, शासन सचिव मा.शि. एवं आयुक्त, रामाशिप, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. नियन्त्रक वित्त, रामाशिप, जयपुर।
4. उपनिदेशक, समस्त संभाग।
5. जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।
6. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि शिक्षकों हेतु 10 दिवसीय प्रशिक्षण पूर्व प्रेषित निर्देशों अनुरूप प्रथम एवं द्वितीय चरण में आयोजित करवाने की सुनिश्चित व्यवस्था कर अनुपालना से अवगत करवाए।
7. कार्यालय प्रति।

2/6/16
राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
जयपुर

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर

स्कूल लीडरशिप डवलपमेन्ट कार्यक्रम 2016–17

जिला	आदर्श विद्यालय द्वितीय चरण	नये मॉडल स्कूल	नये शारदे बालिका छात्रावास	कुल विद्यालय
Ajmer	94	2		96
Alwar	232	5	4	241
Banswara	51	5	1	57
Baran	35	3		38
Barmer	84		3	87
Bharatpur	120			120
Bhilwara	78	2		80
Bikaner	78	1		79
Bundi	43	1		44
Chittorgarh	49	10	2	61
Churu	142			142
Dausa	107			107
Dholpur	55	1	1	57
Dungarpur	81	1		82
Hanumangarh	115			115
Jaipur	289	2	4	295
Jaisalmer	17		2	19
Jalor	56	1	3	60
Jhalawar	37	2		39
Jhunjhunu	195			195
Jodhpur	126	1	2	129
Karauli	70	2		72
Kota	44			44
Nagaur	157	4		161
Pali	83	6	6	95
Pratapgar	28	1	1	30
Rajsamand	51	1	1	53
Sawai Madhopur	52	2	1	55
Sikar	224			224
Sirohi	30			30
Sri Ganganagar	96		2	98
Tonk	66	3	2	71
Udaipur	112	5	2	119
Total	3097	61	37	3195

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद

(स्टेट ओपन बिल्डिंग, प्रथम फ्लोर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान–ऑफिस)
डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष : 0141–5192265, 5192261 E-mail: leadershiprcse@gmail.com

RCSE

क्रमांक:–रामाशिप / जय / लीडरशिप / 4209 दिनांक: 01-06-2016

जिला शिक्षा अधिकारी मा.शि. एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
समस्त जिले

विषय :– लीडरशिप प्रशिक्षणों के प्रभावी संचालन के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माह जून / जुलाई 2016 में द्वितीय चरण के संस्थाप्रधानों के लिए पाँच दिवसीय आवासीय लीडरशिप प्रशिक्षण आयोजित किये जाने हैं। ये प्रशिक्षण सीधे संस्था प्रधान से जुड़े होने के कारण अति महत्वपूर्ण हैं। इन प्रशिक्षणों के द्वारा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों (शैक्षिक, सहशैक्षिक, भौतिक, सामुदायिक आदि) में अपेक्षित सुधार हो रहा है। गत वर्षो के लीडरशिप प्रशिक्षण का प्रभाव विद्यालयों में नजर भी आने लगा है। संस्था प्रधानों में व्यवहारगत परिवर्तन आ रहा है। दिनांक 28–29 मई 16 को कूकस जयपुर में आयोजित एसटीफ / टीएफ के लीडरशिप अभिमुखीकरण में गत वर्ष के लीडरशिप प्रशिक्षणों के बारे में फीड बैक प्राप्त किया गया, जिसमें कई जिलो में डीपीसी एवं एडीपीसी द्वारा इस पर अपेक्षित ध्यान न देने की बात सामने आई। जिससे उन जिलो में लीडरशिप प्रशिक्षण प्रभावी ढंग से संचालित नही हुआ। डीपीसी / एडीपीसी प्रशिक्षण के प्रथम दिन सत्र प्रारम्भ होने पर पहुॅचते हैं तथा उसी दिन व्यवस्थाऐं की जाती हैं जिससे सत्रों का संचालन समय पर प्रारम्भ नही हो पाता । इस संबंध मे **आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सुनिशचित करे कि प्रशिक्षण से एक दिन पूर्व ऐडीपीसी प्रशिक्षण स्थल पर पहुॅचकर टीएफ के साथ मीटिंग कर सभी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करे तथा आप स्वयं प्रशिक्षण के प्रथम दिन अवश्य उपस्थित हो कर व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करें तथा संस्थाप्रधानो से संवाद करे।** आपकी उपस्थिति से प्रशिक्षण पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा। भविष्य में होने वाले लीडरशिप प्रशिक्षण में यदि अपेक्षित व्यवस्थाओं के अभाव के कारण प्रशिक्षण प्रभावित होता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।

इसके साथ ही प्रशिक्षण में संभागियों (द्वितीय चरण आदर्श विद्यालयो के संस्थाप्रधान) की शत प्रतिशत उपस्थिति हेतु मॉनिटरिंग करें। कोई भी संस्था प्रधान बिना सक्षम अनुमति के अनुपस्थित न रहे। स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने वाले संस्था प्रधान के विरूद्व कार्यवाही कर अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को सूचित करे।

(नरेश पाल गंगवार) 3/5/16
शासन सचिव
स्कूली शिक्षा एवं भाषा विभाग,
जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव स्कूली शिक्षा एवं भाषा विभाग।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक,रामाशिप जयपुर।
3. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक,रामाशिप जयपुर।
4. निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक रामाशिअ समस्त जिलो को लेख है कि प्रशिक्षण के एक दिन पूर्व प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होकर एसटीफ/टीएफ के साथ सभी तैयारियों की मॉनिटरिंग करें।

3/5/16
राज्य परियोजना निदेशक
रामाशिप जयपुर